Submission of Pension Papers E.P.F. Certificate

No.924 /CAO-Pension /Gen./5/87-88 Dated: 30 May, 1988

During finalisation on pension & gratuity papers. It was to my notice. That inspite of clear instructions issued vide B.O. No. 2471/R.V.P.-ka-102A/78. dated 3.11.1981, the certificate relating to E.P.F./G.P.F. is not submitted properly. Recently vide circular No. 657/CAO Pension/Gen./5/87-88 dated April 19, 1988 due emphasis has been given on complete and timely submission of pension and gratuity papers. In this connection the proforma of E.P.F./G.P.F. Certificate (Enclosed) is being circulated for information and submission for required certificate on prescribed format. It will come into force with immediate effect and relating to unfinalised cases, the certificate may also be submitted on the prescribed form.

Besides, it is also imphasised that in case of non-submission of information on prescribed form the responsibility may be devolved on the delinquent delinquent official/officer. All concerned officer may kindly be advised suitably to adhere the instruction.

ANNEXURE
Proforma of E.P.F. Certificate

Certified that Sri/Smt.....(Designation).....retired/due to retire on.....was not member of E.P.F. Scheme 1952, after getting confirmed from all EPF covered units where Shri/Shrimati.....worked during his service period.

SIGNATURE OF THE HEAD OF OFFICE

OR

Certified that sri /Smt..... (Designation).....retired/due to retire on.....was member of E.P.F. Scheme. 1952, for the period from .....to.....in the following office. The entire amount (both share along with interest) covering above mentioned period has been received from R.P.F. Commissioner.....vide Cheque No..... dated..... amounting to Rs..... Out of which Employer's share is.....and employees share is Rs..... Form 'K'/Letter No..... dated..... form R.P.F. Commissioner ..... .is also enclosed in support of past period of service.

Note: Delete which ever is not applicable. **SIGNATURE OF THE HEAD OF OFFICE**

ई. पी. एफ. सम्बन्धी प्रमाण पत्र :

(अ) सेवा पुस्तिका में कर्मचारी भविष्य निधि (ई. पी. एफ.) से सम्बन्धित प्रमाण -पत्र परिषादेश संख्या 924/सी.ए.ओ.-पेंशन/जन./5/87-88 दिनांक 30 मई, 1988 में निर्धारित प्रारूप में कर्मचारी भविष्य निधि (ई. पी. एफ.) के सदस्य होने पर उस धनराशि के ट्रान्सफर की प्रविष्टि तथा कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय से ट्रान्सफर के सम्बन्ध में जारी फार्म "के" की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित होना अनिवार्य है। यदि कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति के दौरान नियुक्त स्थान पर ई. पी. एफ. का सदस्य नहीं रहा है तो यह प्रमाण की इस अवधि में अमुक कर्मचारी इस इकाई में सेवाविधि में कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं रहा है, की प्रविष्टि होनी चाहिए। यह कर्मचारी भविष्य निधि का प्रमाण पत्र, पेंशन-प्रपत्र का भाग माना जायेगा और उसी क्रम में भाग-5 (अ) दर्ज, किया जाता है।

(ब) परिषदादेश संख्या 893-पेंशन-31/रा.वि.प.-146(पी)/89 दिनांक 21 जून, 1991 के प्रस्तर 4.2 के अनुसार विशेष परिस्थितियों में जहाँ (ई. पी. एफ.) प्रमाण पत्र न प्राप्त हो सके अथवा अपूर्ण प्राप्त हो उन मामलों में आनुतोषिक रोकते हुए पेंशन भुगतानादेश (पी.पी.ओ.) जारी कर दिया जाये। ऐसे भी मामले आ सकते हैं जहाँ पर सम्भावित परिषदीय अंशदान आगणित आनुतोषिक से अधिक होने के कारण उसकी पूर्ण, वसूली होना सम्भव न हो उन परिस्थितियों में देय पेंशन के अवशेषों से भी अनुमानित धनराशि रोक ली जाये। परिषद में कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ई. पी. एफ.) स्कीम 2/82 से समाप्त कर दी गई है और अब तक समस्त पुराने मामलों का निस्तारण भी यथासम्भव हो जाना चाहिये। यदि कोई मामला अनिश्चित रह गया है तो सेवानिवृत्ति के 24 माह पूर्व पेंशन प्रपत्र तैयार करते समय उसे प्राथमिकता पर लिया जाये।

नोटः-

1. यदि किसी कार्मिक का देहान्त उसके ई. पी. एफ. खाते को जी.पी.एफ. खाते में ट्रान्सफर हुए बगैर हो जाता है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र 20 भरकर कर्मचारी के अंशदान की वापसी हेतु अपने नियोजक (जहाँ का अंशदान हो) के माध्यम से अग्रसारित व प्रमाणित कराकर आवश्यक प्रमाण पत्रों जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसाना प्रमाण पत्र आदि सहित आवेदन करना चाहिये। इस आवेदन में मृतक कर्मचारी के वारिसान द्वारा स्पष्ट आवेदन करना चाहिये कि उन्हें केवल मृतक सदस्य का अंशदान वापस किया जाये तथा नियोजक अंशदान नियोजक को पेंशन फण्ड में जमा हेतु भेज दिया जाये। उपरोक्त निर्धारित प्रपत्र 20 को सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालय अग्रसारित करते समय नियोजक (अधिकृत विभागीय अधिकारी) द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिये कि कर्मचारी अंशदान मृतक के वारिसान को तथा नियोजक अंशदान पेंशन फण्ड में जमा हेतु वापस उन्हें वापस कर दिया जाये।
2. सदस्य वित्त एवं लेखा उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद के परिपत्र संख्या 4803/मु.ले.अ./सा.म.नि.-1 दिनांकः 15.12.95 के प्रस्तर-4 (ग) में स्पष्ट किया गया है कि यदि कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का ट्रान्सफर नहीं हुआ है तो उस दशा में जी.पी.एफ. के भुगतान का प्रकरण लम्बित न रखकर उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।